412 I/C STORES
112 I/O A.C.R.
O.S.
624 JOINT DIR. (P.R.)
355 P.R.O.
383 ADDL.

कार्यालय पुलिस महा निरीक्षक, राज,
जयपुर।

10154

क्रमांक: प-1(18)डी0आई0जी0/ट्रेनिंग/आईटी/76/9970- दिनांक: 8/7/76

स्टेंडिंग आदेश नं 17/76

सायंकालीन हाजिरी एवं प्रशिक्षण

जैसा कि यह विदित है कि हर पुलिस लाइन्स, थाना व चौकी में रोजाना शाम को पुलिस जनों की हाजिरी ली जाती है। इस अवसर पर ड्यूटी बांटने के अलावा रिजर्व इन्सपेक्टर, थानेदार या इन्चार्ज चौकी व्दारा उपस्थित पुलिस जनों को कानून, पुलिस नियम, अपराधी और अपराध सम्बन्धी सूचनायें एवं अन्य जानने योग्य सूचनायें दी जाती हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि इस कार्य को जिस खूबी एवं दिलचस्पी के साथ करना चाहिये, नहीं किया जाता।

इसलिये यह निर्णय लिया जाता है कि उपरोक्त स्थानों पर जहा रोजाना हाजिरी ली जाती है और ड्यूटी आदि बांटी जाती है वहां कानि0 एवं हेड कानि0 को हाजिरी लेने के बाद कम से कम आधा घंटा रोक कर रिजर्व इन्सपेक्टर, इन्चार्ज थाना/चौकी व्दारा उन्हें प्रशिक्षण दिया जावेगा - इस प्रशिक्षण में उनको अपनी ड्यूटी सम्बन्धी बातों के अलावा सामान्य ज्ञान, कानूनी ज्ञान, पुलिस नियमों व आदेशों सम्बन्धी ज्ञान, अपराध एवं अपराधियों से सम्बन्धित ज्ञान एवं पुलिस आचरण सम्बन्धी ज्ञान का प्रशिक्षण दिया जावेगा। यह प्रशिक्षण एक सुनियोजित ढंग से चलाया जावेगा और इसका हर माह का कार्यक्रम पहले से ही निश्चित कर लिया जावेगा। कार्यक्रम को बनाने व उसको लागू करने की जिम्मेवारी सर्किल आफिसर एवं रिजर्व इन्सपेक्टर की होगी और पुलिस अधीक्षक यह देखेंगे कि जो कार्यक्रम दिया गया है वह सुचारु रूप से चलाया जा रहा है।

इस प्रकार के प्रशिक्षण के बारे में रोजनामचा आम में संक्षिप्त रूप से रोजाना "हाजिरी-प्रशिक्षण" शीर्षक से एक संक्षिप्त रिपोर्ट दर्ज की जावेगी। रोजनामचा आम के प्राप्त होने पर सर्किल आफिसर यह देखेंगे कि उनके व्दारा दिये गये कार्यक्रम को सुनियोजित ढंग से चलाया जा रहा है या नहीं। इसी उद्देश्य से सम्बन्धित गजेटेड सुपरविजरी आफिसर भी लाईन के रोजनामचों को देखेंगे।

जो कानिस्टेबिल और हेड कानि0 हाजिरी प्रशिक्षण के समय हाजिर नहीं है उनका यह कर्तव्य है कि पिछले दिन दिये हुये प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करें - प्रशिक्षण देने वाले अधिकारी के लिये भी यह उचित है कि जब वह प्रशिक्षण देना प्रारम्भ करें तो गत दिवस दिये गये प्रशिक्षण के बारे में संक्षिप्त वर्णन करें।

सर्किल आफिसर माह की अन्तिम पक्ष की डायरी में थानों और चौकियों में चलाये जाने वाले तथा लाइन से सम्बन्धित गजेटेड सुपरविजरी आफिसर अपनी माहवारी/माह की अन्तिम पक्ष की डायरी में प्रशिक्षण के बारे में अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट एक रिटर्न के रूप में अपने से उच्च अधिकारी के पास भेजेंगे।

पुलिस थाना लाईन या चौकी के इन्चार्ज का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने अधिनस्थ पुलिस जनों को इस प्रकार प्रशिक्षित करें कि पुलिस जन अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन कर सकें।

थाना या चौकी इन्चार्ज का यह भी कर्तव्य है कि वे इन जगहों पर तैनात पुलिस जनों से थाना या चौकी क्षेत्र की समस्त समस्याओं के बारे में समय समय पर बात करें और उनकी राय और जानकारी के बारे में पूछें। इन जगहों पर तैनात पुलिस जनों से यह

क्रमशः 2 पेज पर - - - -

भावना होनी चाहिये कि थाने का कार्य चलाने में उनका सहयोग वांछित है और व
मैं वे थाने का काम सही रूप में चलाने में वे भागीदार हैं ।

निरीक्षण करने वाले अधिकारीगण निरीक्षण करते समय या थाना या चौकी के विजिट के समय इस बात की जाँच करेंगे कि उपरोक्त आदेश का पालन हो रहा या नहीं और पुलिस जनों के प्रशिक्षण सम्बन्धि ज्ञान का मूल्यांकन प्रश्न पूछकर करेंगे।

(गणेश सिंह)
पुलिस महा निरीक्षक, राज
जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-
1- पुलिस अपर महानिरीक्षक, एसीडी राज, जयपुर।
2- समस्त पुलिस महा निरीक्षक, राज:
3- समस्त पुलिस अधीक्षक
4- समस्त सर्किल आफिसर, राज
5- समस्त रिजर्व इन्सपेक्टर, राज:
6- सहायक महानिरीक्षक पुलिस (प्रथम) / ट्रैफिक, राजस्थान, जयपुर।

पुलिस महा निरीक्षक, राज,
जयपुर।